

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.16(3)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 05.09.2017

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर।


विषय:- चिकित्सकों की विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि चिकित्सकों के विदेश यात्रा के प्रस्ताव प्राप्त होने पर 10 दिवस तक की विदेश यात्रा की अनुमति आप अपने स्तर से ही जारी करें। विशेष परिस्थिति में 10 दिवस से अधिक की विदेश यात्रा के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करावें।


10 दिवस से अधिक की अनुमति किसी भी परिस्थिति में आप के द्वारा जारी नहीं की जावें।

भवदीय


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।


(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव